

स्तम्भ-5 के अनुसार यूजर चार्ज लिया जायेगा, जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स का अंश निम्नवत् होगा:-

(धनराशि रूपये में)

S.No	Name of Service	VLE Share (70%)	DSP Share (10%)	DeGS Share (10%)	CeG Share (10%)	Total (1+2+3+4)
		1	2	3	4	5
1	e-Registration (Data Punching charges for online application for registration) (ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पत्र की डाटा पंचिंग की दरें)	21	3	3	3	30
2	e-Return (Data Punching charges for main form of the return) (ई-रिटर्न के मुख्य फार्म की डाटा पंचिंग की दरें)	21	3	3	3	30
3	e-Registration/e-Return uploading charges (ई-रजिस्ट्रेशन/ई-रिटर्न अपलोडिंग की दरें)	35	5	5	5	50
4	Downloading charges (डाउनलोडिंग की दरें)	20	0	0	0	20
5	Receipt printing charges (रिसिप्ट प्रिंटिंग की दरें)	5	0	0	0	5
6	Printing charges B/W (A4) per page (प्रिंटिंग की दरें B/W (A4) प्रति पेज)	3	0	0	0	3
7	Data Punching charges for annexures per row (अनुलग्नक में प्रतिलाइन डाटा पंचिंग की दरें)	1	0	0	0	Total=no of rows*1

4- अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त यदि केन्द्र ऑपरेटर सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज की शेयरिंग लागू नहीं होगी।

5- वाणिज्य कर विभाग की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने हेतु विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा एन.आई.सी./एस.ई.एम.टी. की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित किया जायेगा। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन के पश्चात सभी सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स द्वारा पायलेट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही की जायेगी ताकि गो-लाइव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

6. यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि समस्त डिलीवरी प्वाइन्ट्स यथा-जन सेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, जन सुविधा केन्द्रों तथा ई-सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी